दिल्ली विधान सभा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

नियम समिति

का

प्रतिवेदन

REPORT

OF

COMMITTEE ON RULES

पुराना सचिवालय

दिल्ली ।

26 अगस्त, 1997

Old Secretariat,

Delhi

August, 1997

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता परिवहन, विधि एवं न्याय मंत्री	सदस्य
3.	चौ. फतेह सिंह माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
4.	श्री बोध राज	सदस्य
5.	श्री सतीश चन्द्र खण्डेलवाल	सदस्य
6.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	सदस्य
7.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी. सी. अग्रवाल	उप सचिव
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

....

प्रस्तावना

मैं, चरती लाल गोयल, सभापति, नियम समिति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियमों में कुछ नये प्रावधान/नियम जोड़ने, संशोधन और रूपान्तरण करने का प्रस्ताव करते समय समिति ने अन्य राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ संसदीय स्तर पर प्रचलित प्रक्रियाओं, परिपाटियों और नियमों का भी अध्ययन किया था । दिल्ली की नई विधान सभा के लिये नियमों को बनाने का कार्य निसंदेह कठिन, श्रम साध्य एवं चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण भी था । इसलिये यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे पूर्ण संतोष और प्रसन्नता का एहसास हो रहा है ।

समिति का गठन 1 अप्रैल, 1994 को हुआ तथा इसकी कुल मिलाकर 16 बैठकें हुई थीं ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 33(1) विधान सभा को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है । धारा 33(2) में प्रावधान किया गया है कि जब तक ये नियम नहीं बनते हैं तब तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा यथा रूपान्तरण एवं अनुकूलन किया गया है, दिल्ली विधान सभा में लागू रहेंगे। अब नियम समिति द्वारा प्रस्तावित नियमावली सदन द्वारा स्वीकृति मिलने पर दिल्ली विधान सभा में लागू उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली का स्थान ले लेगी ।

भारत में संसद और विधान मण्डलों के प्रक्रिया नियमों, स्थायी आदेशों की विषय वस्तु आम तौर पर समान प्रकृति की है । प्रत्येक विधान मंडल ने अपने यहां की मौजूदा परिस्थितियों और कार्य अनुभवों को मद्दे नजर रखते हुए अपनी-अपनी नियमावलियों में कुछ नये प्रावधान और रूपान्तरण किये हैं । नियम समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली के मूलभूत ढांचे में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है लेकिन कई स्थानों पर कुछ छोटे और कुछ बड़े परिवर्तन, रूपान्तरण और नये संशोधनों की सिफारिश की है । इन परिवर्तनों की सिफारिश करने के दौरान समिति के समक्ष विधान सभा के विगत 3 वर्षों के कार्य काल का व्यावहारिक अनुभव, संसद और राज्य विधान मंडलों के कार्य तथा इनके अपने अनुभव, सामूहिक सोच एवं मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों से भी मार्गदर्शक के रूप में सहायता मिली ।

दिल्ली विधान सभा में लागू उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियमों की कुल संख्या 273 थी । रूपान्तरण और अनुकूलन के पश्चात् अब यह संख्या 301 हो गई है । नियमों में इस तरह की वृद्धि की आवश्यकता इसलिये महसूस की गई,क्योंकि समिति विधान सभा द्वारा जांच-पड़ताल की परिधि में सरकार के कार्यकलापों के कुछ उन पहलुओं को भी शामिल करना चाहती थी जो अभी तक उसकी जांच के दायरे में नहीं थे । उदाहरणार्थ, सरकारी उपक्रमों संबंधी सदन की एक समिति गठित करने की सिफारिश से इस समिति द्वारा दिल्ली सरकार के उपक्रमों जैसे दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम(डी.एस.सी.एस.सी.), दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम(डी.टी एवं टीडीसी), दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम(डी.एस.एफ.डी.सी.) आदि के कार्यकलापों की जांच पड़ताल सम्भव हो सकेगी ।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी नीतियों और योजनाओं पर निगरानी रखने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल कर दिया गया है । इसी तरह यह भी महसूस किया गया है कि यदि दिल्ली को एक रहने योग्य स्थान और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गौरवशाली राजधानी बनाये रखना है तो इसकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं, जो विकराल रूप धारण कर चुकी है, के सुलझाने के काय को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी । इसलिये पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन्हें रोकने ओर उन पर नियंत्रण करने हेतु एक पर्यावरण समिति गठित करने की सिफारिश की गई है ।

यद्यपि समाज के प्रत्येक वर्ग के हित और कल्याण की चिन्ता करना और समय-सममय पर इस संदर्भ में आवश्यक और उचित कदम उठाना किसी भी सरकार का मूलभूत दायित्व है,फिर भी विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इनकी संख्या दिल्ली की लगभग तीन चौथाई आबादी के बराबर है। भारत जैसे देश में जहां ऐतिहासिक और सामाजिक -आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों से समाज के इस वर्ग की समस्यापं बहुत जटिल है, इस वर्ग के चहुंतरफा उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य पर आयत होती है । इसलिये अविवाहित और परित्यक्त माताओं के पुनर्वास,महिलाओं के असंगठित समूहों के कल्याण,अनाथालयों,शरण-गृहों (पुअर होम्स),नारी निकेतन, शिशु कल्याण गृहों और शरणालयों आदि के, जहां

सामान्यतया महिलाओं और बच्चों को रखा जाता है, के कार्यकलापों की जांच करने, महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये सुझाव देने तथा उपायों संबंधी रिपोर्ट देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल कल्याण समिति के नाम से एक नई समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

दिल्ली विधान सभा ने एक अन्य नई समिति -निवेदन समिति (कमेटी ऑन अपील्स) के भी गठन की सिफारिश की है । इस समिति का कार्य क्षेत्र वर्तमान याचिका समिति से भिन्न प्रकार का है । इस समिति के जरिये विधान सभा के सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति से सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले सामान्य लोक हित के विषयों पर अपील करने का एक अन्य मंच प्रदान किया गया है । तथापि ऐसी अपीलें जब सदन का सत्र चल रहा हो, उसी अवधि के दौरान ही सदन में पेश की जा सकती है ।

नियम समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों, संयोजनों, परिवर्तनों व नये नियमों की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :-

1· **"सदन के नेता"** - नियमों में पहले इसे परिभाषित नहीं किया गया था। प्रस्तावित नियमों में अब इस शब्द की परिभाषा जोड़ दी गई है ।

2· समिति ने प्रस्ताव किया है कि सत्र का प्रारम्भ राष्ट्रीय गीत -**"वन्दे मातरम्"** से आरम्भ होगा तथा राष्ट्र-गान **"जन-गण-मन"** के साथ इसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जायेगा ।

3· चर्चा के दौरान मंत्री द्वारा उत्तर देने के अधिकार को नियमों में जोड़ा गया है।

4· कोई प्रश्न यदि एक से अधिक विभागों अथवा विधान सभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो तो वह ग्राह्य नहीं होगा ।

5· प्रश्नों के उत्तरों के अग्रिम प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है ।

6· ध्यानाकर्षण, कार्य स्थगन प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों की सूचनायें सदन की बैठक आरम्भ होने के 3 घंटे पूर्व दी जानी चाहिये ।

7· संकल्पों की सूचना देने की अवधि को 10 दिन से बढ़ा कर 15 दिन कर दिया गया है ताकि सरकार किसी संकल्प पर अपना रुख एवं रणनीति तैयार करने में सक्षम हो सके । उपराज्यपाल के आचरण पर टिप्पणी से संबंधित कोई भी संकल्प

प्रायः नहीं माना जायेगा । पहले किसी निर्धारित शुक्रवार की कार्य सूची में 5 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प रखे जा सकते थे । अब इनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई है क्योंकि अनुभवों से पता चलता है कि किसी भी शुक्रवार के दिन सदन 3 से अधिक संकल्पों पर चर्चा करने में सफल नहीं हो पाया है और शेष दो संकल्प समाप्त (लैप्स) हो जाते हैं ।

8· सदन द्वारा समय-समय पर पारित किये गये संकल्पों की स्थिति के बारे में सदन को जानकारी देने हेतु मंत्री को बाध्य करने का नियमावली में प्रावधान किया गया है ।

9· जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी गैर सरकारी विधेयक की सूचना देता है तो उसे मंत्री को उपराज्यपाल की सिफारिशों और स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजना पड़ता है । अब यह जिम्मेदारी संबंधित मंत्री पर डाल दी गई है कि वे विधेयक के संबंध में उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति या सिफारिशों को प्रदान करने अथवा रोकने संबंधी आदेश की सूचना सचिवालय को दें या भिजवायें ।

10· किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने हेतु सूचना संबंधित मंत्री द्वारा सचिवालय को 7 दिन पूर्व देनी होगी ।

11. पूर्व में जारी किसी अध्यादेश को हटाने के लिये किसी विधेयक को प्रस्तुत करते समय मंत्री के लिये अनिवार्य कर दिया गया है कि वह उन स्थितियों के बारे में भी बताये जिनके अन्तर्गत ऐसा अध्यादेश जारी किया गया था ।

12· नये नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित नई समितियों का प्रस्ताव किया गया है:-

1· सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

2· महिला एवं बाल कल्याण समिति

3· पर्यावरण समिति

4· निवेदन समिति

13· उपर्युक्त के साथ-साथ याचिका समिति का कार्य क्षेत्र भी विस्तृत कर दिया गया है और अब किसी व्यक्ति-विशेष की भी याचिका स्वीकार की जा सकेगी, बशर्ते कि वह सामान्य जनहित की हो ।

14· अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति का कार्यक्षेत्र विस्तृत करके उसमें "अन्य पिछड़े वर्गों" को भी शामिल कर दिया गया है ।

प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे समिति द्वारा 12 अगस्त,1997 को सम्पन्न अपनी बैठक में स्वीकार किया गया । समिति ने श्री जग प्रवेश चन्द्र और उनकी अनुपस्थिति में श्री सतीश चन्द्र खण्डेलवाल को अपनी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

प्रस्तावित संयोजनों,परिवर्तनों और रूपान्तरणों आदि के गुण-दोषों पर बेबाकी से विचार-विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों ने कभी-कभी एक दूसरे से भिन्न अपने-अपने दृष्टिकोण और विचारों को बड़ी स्पष्टता के साथ व्यक्त किया था । तथापित अन्तिम सिफारिशें सर्वसम्मति से की गईं ।

श्री आलोक कुमार, श्री मेवा राम आर्य, डा·हर्षवर्द्धन,श्री परवेज हाशमी और श्री शोएब इकबाल,जो वर्ष 1994-95 और 1995-96 में भी समिति के सदस्य थे, ने भी इन नियमों को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

इस अवसर पर समिति बड़े हर्ष के साथ यह भी उल्लेख करना चाहती है कि इन नियमों को बनाने और अंतिम रूप देने में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों प्रमुखतया श्री पी·एन·गुप्ता, सचिव, श्री एस·के·शर्मा,संयुक्त सचिव,श्री पी·सी·अग्रवाल,उप-सचिव और श्री एस·के·श्रीवास्तव, समिति अधिकारी का अत्यन्त सराहनीय योगदान रहा।

(बरती लाल गोयल)
सभापति, नियम समिति एवं
अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा ।

अगस्त,1997

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta, Minister for Law, Justice & Legislative Affairs.	Member
3.	Ch. Fateh Singh, Hon'ble Deputy Speaker	Member
4.	Shri Bodh Raj	Member
5.	Shri Satish Chandra Khandelwal	Member
6.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
7.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

I, Charti Lal Goel, Chairman of Rules Committee, having been authorised by the Committee to present this Report on their behalf, do present this report.

While proposing additions, amendments and modifications to the rules, the Committee did consult and refer to the rules and practice obtaining in other State Legislatures as well as Parliament. The task of framing the rules for the new Assembly of Delhi was certainly of great importance besides being time consuming and demanding in nature. It is, therefore, with a sense of satisfaction and fulfilment that I present this report.

The Committee was constituted on 1 April, 1994 and it held 16 sittings.

Section 33 (1) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, empowers the Legislative Assembly to make rules for regulating its procedure and conduct of business. Section 33 (2) provides that until these rules are framed, the rules of procedure and standing orders with respect to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh shall have effect in relation to Legislative Assembly, with such modifications and adaptations as may be made by the Legislative Assembly. The rules now proposed by the Rules Committee, if adopted by the House, would replace the U.P. Assembly Rules extended to Delhi Vidhan Sabha.

In India, while the broad contents and contours of the rules of procedure and standing orders of Parliament and State Legislatures are generally similar, each legislature, however, has made certain innovations, variations and modifications of its own, based on the prevalent conditions and the working experience. Accordingly, the Rules Committee has recommended certain alterations, additions, modifications and innovations - some major and some subsidiary in nature - at a number of places without disturbing the original edifice of the U.P. Assembly Rules. In recommending these changes, the Committee was guided also by the practical experience of the working of the Legislative Assembly during the last three years, the practice

obtaining in Parliament and State Legislatures and its own accumulated experience, wisdom and prevalent local conditions.

The U.P. Assembly Rules as made effective for Delhi Assembly after modifications and adaptations were 273 in number. Now the number has gone upto 301. This increase in the number of Rules has been necessitated because the Committee has tried to bring within the ambit of legislative scrutiny, certain aspects of the functioning of the Government which were hitherto not within its purview. For instance, the recommendation to have a House Committee on Government Undertakings will enable the Committee to examine the working of the Undertakings of Delhi Government such as Delhi State Civil Supplies Corporation (DSCSC), Delhi Tourism & Transportation Development Corporation (DT&TDC), Delhi Scheduled Castes Financial Development Corporation (DSFDC), etc.

For looking after the welfare of Other Backward Classes, the scope of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been widened to encompass OBCs as well. Similarly, it has been felt that if Delhi is to remain a place worth living and the proud capital of world's largest democracy, its environmental problems which are assuming alarming proportions, will have to be assigned top priority. Hence the recommendations for constitution of a Committee on Environment to study the environmental problems and to suggest measures for their prevention and control.

Though it is the fundamental responsibility of any Government to look after the welfare of each and every section of the society, the women and children in particular who altogether constitute nearly one-third of Delhi's population, obviously deserve more attention. In a country like India where on account of past history and socio-economic and cultural factors, the problems in this section of the society are more glaring, it is the duty of the State to ensure their alround

Contd.....3

development and upliftment. A new Committee on Women and Child Welfare has, therefore, been proposed with a view to suggest measures for rehabilitation of unmarried and deserted mothers, welfare of disorganised groups of women, and examine the functioning of Orphanages, Poor Homes, Nari Niketan, Child Welfare Homes, Asylums etc. where women and children are generally admitted *and also to suggest and report measures for empowerment of the women.*

Another new Committee - an innovation of Delhi Assembly - is the Committee on Appeals (Nivedan). Its scope is somewhat different from the existing Committee on Petitions. This Committee provides yet another forum to the members of the Assembly to present to the House, with the permission of the Speaker, appeals on matters of general public interest within the jurisdiction of the Government. Such appeals, however, can be presented only during the period when the House is in session.

The salient features of some of the important deviations, changes, additions and alterations and innovations proposed by the Rules Committee are as under:-

(i) 'Leader of the House' had not been defined earlier. The definition of the term has now been incorporated in the proposed rules.

(ii) It has been proposed that the session shall commence with the playing of National Song 'Vande Matram' and adjourned sine die with the playing of National Anthem ' Jan Gan Man '.

(iii) Minister's right to reply to discussion has been incorporated.

(iv) A question may not be admissible if it relates to more than one department or matters within the jurisdiction of Speaker.

(v) Advance publicity of answers to questions has been prohibited.

(vi) Notices of Call Attention, Adjournment Motion and

No Confidence Motions must be given three hours before the commencement of the sitting.

(vii) Period of notice of Resolutions has been raised from 10 to 15 days with a view to enable the Government to make up their mind as to their stand on the Resolution. No Resolution reflecting upon the conduct of Lieutenant Governor is to be admissible. Earlier 5 Private Member Resolutions could be put in the List of Business on a given Friday. Now their number has been reduced to 3 since the experience has shown that the House is never able to take up on any Friday more than three Resolutions and the remaining two Resolutions used to get lapsed.

(viii) It has been made obligatory on the part of the Minister to inform the House about the status of Resolutions passed by the House from time to time.

(ix) When a Private Member gives notice of a Bill, the same is to be passed on to the Minister for obtaining the recommendations and sanction of the Lieutenant Governor. The Minister is required to convey to the Secretariat the order of Lieutenant Governor granting or withholding the sanction or recommendation.

(x) A Minister is required to give a 7 days notice to Secretariat for introducing a Bill.

(xi) It has been made compulsory for the Minister that while introducing a Bill to replace an ordinance issued earlier, he should explain the situation under which the ordinance was promulgated.

(xii) The following new Committees are proposed to be constituted under the new Rules:-

(i) Committee on Government Undertakings.

(ii) Committee on Women and Child Welfare.

(iii) Committee on Environment.

(iv) Committee on Appeals.

Contd.....5

(xiii) Besides, the scope of Committee on Petitions has been widened and now even a petition from an individual, if it is of general public interest, can be entertaind.

(xiv) The scope of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also been widened to include Other Backward Classes also.

(xv) Ministers have been conferred the right to intervene at any stage of the debate.

The Report was considered and adopted by the Committee at its meeting held on 12th August, 1997. The Committee authorised Shri Jag Paresh Chandra and in his absence Shri Satish Chandra Khandelwal to present the Report on their behalf.

The Committee deliberated the merits and demerits of proposed additions, alterations, modifications, etc. in a free and frank manner and members candidly expressed their points of view and opinions - sometimes at variance with each other. However, the final recommendations made were unanimous.

Shri Alok Kumar, Shri Mewa Ram Arya, Dr. Harsh Vardhan, Shri Parvez Hashmi and Shri Shoaib Iqbal, who were Members of the Committee during 1994-95 and 1995-96 also made important contributions in framing these rules.

The Committee cannot help placing on record its appreciation of the valuable services rendered by the Officers of the Assembly Secretariat, notably Shri P.N. Gupta, Secretary, Shri S.K. Sharma, Joint Secretary,

Shri P.C. Agarwal, Deputy Secretary and Shri S.K. Srivastava, Committee Officer, for necessary assistance and advice to the Committee in framing and finalising these rules.

CHARTI LAL GOEL,
CHAIRMAN, RULES COMMITTEE
AND
SPEAKER, DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

AUGUST, 1997.